

जगदीश बनाम राज (2024/225)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 31/12/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17/12/25 को पेश की गई।</p> | |
| 31/03/25 | <p>पत्रावली पेश। बहुलाय उपस्थित प्रकरण में अग्रणी अधिवक्ता अवाब पेश नहीं कर सके ही बहस हेतु निवेदन किया। प्रकरण में उक्त पड़ा अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मन्त्र पश्चात् हम पाते हैं कि वादग्रस्त क्षारजी भूमि ख.न. 33, 138, 34, 89, 90, 94, 343, 727 स्थित वाहे ग्राम दयारामपुरा प. ह. जीतावाला तहसील बस्ती जिला जयपुर में प्रार्थी एवं अग्रणीगण मनबट कर काबिज काशन वर्तमान जमाबन्दी अनुसार स्थित अनुसार है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है और प्रार्थी के कब्जे काशन में अग्रणीगण दर्जबंदगी करने पर आमादा है एवं सीमाएँ सुर्द-सुर्द करने पर आमादा है। अतः आदेश है कि वाहे ग्राम दयारामपुरा वादग्रस्त क्षारजी भूमि ख.न. 138, 33</p> | |

| क्रम संख्या | दिनांक आशा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | दिनांक क्रम संख्या |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | <p>34, 39, 90, 94, 343, 327 के सम्बन्ध में उभयपक्ष कानून को गार्डिल लाल मूलवाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आदानी के मौके एवं डिक्टार्ड की प्रचारियति बनाये रखें। एक-दूसरे की कब्जे कायदा में देखल दानी नहीं करे। उभयपक्ष अपने-अपने हिलरे पर कवि हेतु स्वतन्त्र पत्रावली नम्बर से काम लेकर दाखिल दफतार घे।</p> <p>246 निर्णय आज दिनांक 14/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |
| | | <p>उपखण्ड अधिकारी बस्ती जिला-जयपुर</p> | |